

कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



श्रुतं कुर्यात्

ONE BARK - ONE FAMILY - ONE NATURE

सेवा में,
पत्रांक-1603 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 19 फरवरी, 2026

उप वन महानिदेशक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/20210/2016

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/०६/०१/२०१७/एफ०सी०/१६९९ दिनांक:-16.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-1002/12-1 दिनांक-26.12.2025 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 190 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि 190 वृक्षों का वृक्षारोपण दस वर्षों तक रखरखाव सहित रु० 2,09,000.00 की धनराशि चालान संख्या-S2180479 के अनुसार जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी० रु० 1,83,960.00 की धनराशि चालान संख्या-S2180479 के अनुसार जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय से कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी० की अतिरिक्त रु० 97,498.00 की धनराशि IFMS Transaction ID WO4103423303241013 संख्या दिनांक-22.03.2024 कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) को बैव पोर्टल पर online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार संपूर्ण धनराशि online कैम्पा कोष में जमा की गयी है।
5	सडक निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सडक	सडक निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो

5	के दोनो किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क के दोनो किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	State Govt. will Provide revised NPV Calculation sheet for open forest area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 कैल्कुलेशन शीट की प्रमाणित हार्ड कॉपी संलग्न है। (संलग्नक-5)
7	State Govt. will provide hard copy of digital map of proposed road FRA, Plantation scheme tree enumeration list and part IV & V, in original revised NPV calculation sheet for Open Forest Area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि digital map of proposed road FRA, Plantation scheme tree enumeration list and part IV & V, in original revised NPV calculation sheet for Open Forest Area. हार्ड प्रति में संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत है-		
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक-7)
2	एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा	एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा, जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा, जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-9)
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक-10)
5	प्रयोक्ता द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगा जिससे निकटवर्ति वनों को क्षति नहीं पहुचे।	प्रयोक्ता द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगा जिससे निकटवर्ति वनों को क्षति नहीं पहुचे, जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-11)
6	परियोजना के निर्माण व रखाखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन की जायेगा प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक-12)
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी वन संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भातर सरकार की पुर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-13)
8	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 से अधिक न हो।	प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वृक्षों का कटान/पातन 19 से अधिक न किये जाने की शर्त के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा

		प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्न-14)
9	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा, जिसका अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न 4 के अनुसार प्रदत्त किया गया है।।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा (संलग्न-15)
11	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा (संलग्न-16)
12	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो के भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित कोई भी शर्त जो के भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें शर्त का अनुपालन किया जायेगा इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-17)

अतः वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ०एस०पी०सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-1603 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट (उत्तरकाशी)।

(डॉ०एस०पी०सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, फ़ैक्स-0135-2745779 E-mail addyamunacircle@gmail.com

पत्रांक- ¹⁰⁰² / 12-1 देहरादून दिनांक, 26 दिसम्बर, 2025।

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पौलगांव सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि को लोक निर्माण प्रत्यावर्तन की अनुपालन आख्या के संबंध में।

(FP/ UK/ ROAD/ 20210/ 2016)

संदर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग का पत्रांक-1436/12-1, दिनांक-16.12.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में सृजित कमियों का प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट द्वारा निराकरण कर बिन्दुवार आख्या अपने पत्रांक 1436/12-1 दिनांक-16.12.2025 (संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की गई आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त निराकरण आख्या संस्तुति सहित मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(कल्याणी)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1002 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

आ. 0.28 है0 करे

प्र. 0.28 है0 करे

30-12-2025

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

पंजीप सं. 1684
विवरण 12-1
दिनांक 06-01-26

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com

पत्रांक- 1436 / 12-1 बड़कोट, दिनांक 16 , दिसम्बर / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पोलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 हे० वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन। (FP/UK/ROAD/20210/2016)

संदर्भ:-

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट का पत्रांक-1750/4भू०अ०, दिनांक 28.11.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी०/यू०सी०पी०/०६/०१/२०१७/एफ०सी०/१६९९, दिनांक 16.01.2018 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के क्रम में अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

शर्तें	शर्तों का अनुपालन
1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 190 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त सं० 1 व 2 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि तथा 190 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव की धनराशि कुल रू० 392960.00 मात्र संलग्न चालान सं० S2180479 के अनुसार जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1)
2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	तदैव
3- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	एन०पी०वी० के शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जाएगी। अतिरिक्त NPV दिनांक 22.03.2024 को IFMS Transaction ID - WO4103423303241013 द्वारा Campa Fund में धनराशि रू० 97498.00 मात्र जमा करवा दी गयी है। (संलग्नक-2)
4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर online generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	(CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर online generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की गयी है। (संलग्नक-3)
5- सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न-4)

6- State Govt. will Provide revised NPV Calculation sheet for open forest area.	शर्त सं0 6 के अनुपालन में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 कैल्कुलेशन शीट की प्रमाणित हार्ड कॉपी संलग्न है। (संलग्नक-5).
7- State Govt. will Provide hard copy of digital map of proposed road FRA, Plantation scheme tree enumeration list and part IV & V, in original.revised NPV Calculation sheet for open forest area.	शर्त सं0 7 के अनुपालन digital map of proposed road FRA, Plantation scheme tree enumeration list and part IV & V, in original.revised NPV Calculation sheet for open forest area. में की हार्ड प्रतियां संलग्न है।
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तों	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत है-
1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	संलग्नक-6
2- एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	संलग्नक-7
3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	संलग्नक-8
4- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जाएगा।	संलग्नक-9
5- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।	संलग्नक-10
6- परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।	संलग्नक-11
7- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	संलग्नक-12
8- कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 से अधिक न हो।	संलग्नक-13
9- सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।	संलग्नक-4 के अनुसार
10-परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	संलग्नक-14


11- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	संलग्नक-15
12- ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	संलग्नक-16

सन्दर्भित पत्र में अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बडकोट द्वारा विषयगत कार्य की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी को लिखा गया है।


अतः उपरोक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त अनुपालन आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(रविन्द्र पुण्ड्रीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(रविन्द्र पुण्ड्रीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।



कायालय आधशासा आमयन्ता।
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट(उत्तरकाशी)।



Website- <http://pwd.uk.gov.in>

mail:- eeepwdbarkot@rediffmail.com

दूरभाष/फैक्स नं001375-224756, टिX 01375224828

पत्रांक 1750/4भू0अ0

दिनांक 28/11/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय-

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 है0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन।
(FP/UK/Road/20210/2016)

सन्दर्भ-

इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1008/4भू0अ0 दिनांक 07.07.2025

महोदय,

विषयगत कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0 08/बी0/यू0सी0पी0/06/01/2017/एफ0सी0/1699 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्राप्त हुयी है। विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0- 718/4भू0अ0 दिनांक 06.05.2024 पूर्व में प्रेषित की गयी थी। विषयगत कार्य में पूर्व में जो एन0पी0वी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा की गयी थी वह वर्तमान में Paid Show हो गयी है, जिस हेतु पुनः अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

शर्तें	शर्तों का अनुपालन
1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 190 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त सं0 1 व 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि तथा 190 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव की धनराशि कुल रू0 392960.00 मात्र संलग्न चालान सं0 S2180479 के अनुसार जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1)
2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	तदैव
3- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	एन0पी0वी0 के शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जाएगी। अतिरिक्त NPV दिनांक 22.03.2024 को IFMS Transaction I.D - WO4103423303241013 द्वारा Campa Fund में धनराशि रू0 97498.00 मात्र जमा करवा दी गयी है। (संलग्नक-2)
4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर online generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	(CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर online generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की गयी है। (संलग्नक-3)
5- सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न-4)

6- State Govt. will Provide revised NPV Calculation sheet for open forest area.	शर्त सं० 6 के अनुपालन में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में एन०पी०वी० कैल्कुलेशन शीट की प्रमाणित हार्ड कॉपी संलग्न है। (संलग्नक-5)
7- State Govt. will Provide hard copy of digital map of proposed road FRA, Plantation scheme tree enumeration list and part IV & V, in original.revised NPV Calculation sheet for open forest area.	शर्त सं० 7 के अनुपालन digital map of proposed road FRA, Plantation scheme tree enumeration list and part IV & V, in original.revised NPV Calculation sheet for open forest area. में की हार्ड प्रतियां संलग्न है।
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तों	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत है-
1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	संलग्नक-6
2- एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन०पी०वी० देने के लिये बाध्य होगा।	संलग्नक-7
3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	संलग्नक-8
4- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जाएगा।	संलग्नक-9
5- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।	संलग्नक-10
6- परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।	संलग्नक-11
7- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	संलग्नक-12
8- कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 से अधिक न हो।	संलग्नक-13
9- सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।	संलग्नक-4 के अनुसार
10-परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	संलग्नक-14
11- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो इनके अधीन जरूरी	संलग्नक-15

अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	
12- ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	संलग्नक-16

अतः अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
28.11.25
(डॉ० विजय काम्बोज)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

दिनांक /11/2025

पत्रांक /

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड, देहरादून।
2. नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।

(सि.सं. - 1)

AGENCY COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund	
Date : 14-02-2019	
Client Code.	CAMS089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6120210650
MoEF/SG File No.	8BUJCP/06/01/2017/FC
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Remitter Contact No. Email Id.	eepwdbarkot@rediffmail.com
Mobile No.	9457268901
Landline No.	1375-224756
Amount (In Rs)	392960/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words: Three Lakh Ninety-Two Thousand Nine Hundred and Sixty Only	
<p>Executive Engineer Construction Division P.W.D. Barkot</p> <p>Bank Official (Signature)</p>	
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. Challan should only be accepted against INST/DD. Enter the Remitter Name in Additional Information 1 Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2 This challan is valid only for seven days. 	

CAMPA-MOEF Copy	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund	
Date : 14-02-2019	
Client Code.	CAMS089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6120210650
MoEF/SG File No.	8BUJCP/06/01/2017/FC
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Remitter Contact No. Email Id.	eepwdbarkot@rediffmail.com
Mobile No.	9457268901
Landline No.	1375-224756
Amount (In Rs)	392960/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words: Three Lakh Ninety-Two Thousand Nine Hundred and Sixty Only	
<p>Executive Engineer Construction Division P.W.D. Barkot</p> <p>Bank Official (Signature)</p>	
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. Challan should only be accepted against INST/DD. Enter the Remitter Name in Additional Information 1 Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2 This challan is valid only for seven days. 	

BANK COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund	
Date : 14-02-2019	
Client Code.	CAMS089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6120210650
MoEF/SG File No.	8BUJCP/06/01/2017/FC
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Remitter Contact No. Email Id.	eepwdbarkot@rediffmail.com
Mobile No.	9457268901
Landline No.	1375-224756
Amount (In Rs)	392960/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words: Three Lakh Ninety-Two Thousand Nine Hundred and Sixty Only	
<p>Executive Engineer Construction Division P.W.D. Barkot</p> <p>Bank Official (Signature)</p>	
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. Challan should only be accepted against INST/DD. Enter the Remitter Name in Additional Information 1 Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2 This challan is valid only for seven days. 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

चालान नं० - 32180479

P.C. Attached

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लोडनिर्माण
बडकोट

18 FEB 2019

Construction Division
P.W.D. Barkot

(नि.ल.नं. - 2)

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com पत्र केंद्र-920808000

पत्रांक-1541/12-1 दिनांक, बड़कोट, 31 जनवरी 2024

दस्तावेज नं. 232/4303
दिनांक 16/02/2024

अधिसूची अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,
बड़कोट।

विषय- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में विधिवत स्वीकृति हेतु लम्बित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के संबंध में।

सन्दर्भ - वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1955/12-1, दिनांक 27.05.2023 एवं पत्रांक-आर0न0-2842/12-1, दिनांक 18.01.2024।

महोदय, उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने ऐसे प्रकरणों की सूची प्रेषित की है जिनकी अनुपालन आख्या में त्रुटि होने के कारण आतिथि तक अनुपालन आख्या भारत सरकार कार्यालय में नहीं पहुंच पाई है अथवा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। उक्त प्रकरणों में से एक प्रकरण एन0एच. 123 से पोलगाव तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.28 हे0 जो आपके कार्यालय से समन्वित है, जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, जबकि नियमानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 05 वर्ष के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है।

आपको इस कार्यालय के पत्रांक-50/12-1 दिनांक 04.07.2023 से भी प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, परन्तु आतिथि तक उक्त प्रकरण पर आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः अवगत करना है कि प्रश्नगत प्रकरण की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसे अतिआवश्यक समझे।

इस संबंध में विषयगत प्रकरण से NPV की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है -

क्र0 सं0	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली धनराशि का क्षेत्रफल (हे0 मे)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (हे0 मे)	भारत सरकार के आदेश सं0 5-3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि (रू0 मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	EP/UK/ROAD/20210/2016	0.28	5	0.3	NPV	0.28	1005210	281458.00
							पूर्व में जमा धनराशि	183960.00
							अवशेष धनराशि	97498.00
कुल योग							सत्तानब्बे हजार चार सौ अठानब्बे रू0 मात्र।	

उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 97498.00 का Challan Generate कर ऑनलाईन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की बालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(डॉ० अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ० अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

24, 5:37 PM

(2/1)

W No - ~~322~~ dt. 22/08/2024
221

IFMS

Bill Type : Normal

Print Date - 22-8-2024

Transaction ID - WD4103423303241013

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड चौथे भाग - 1
(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
(संयुक्त राज्य सरकार)

- 1- पत्राचार का नाम
- 2- कोषागार का नाम
- 3- देयक की अवधि का नाम से
- 4- रिफंड कोड
- 5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
- 6- देयक पंजी-पत्री क्रम संख्या
- 7- गाउनर संख्या (कोषागार द्वारा भव जान्य है)
- 8- ग्राहक/भारित
- 9- सेवाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य सेवाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 तृतीय शीर्षक + 2 चतुर्थ शीर्षक)
- 10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम
- 11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड
- 12- अधिस्तान का नाम
- 13- अनुदान संख्या (022) लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

उत्तरांचली
बड़कोट

1	0	3
4	1	0
0	0	1
1	1	3
2		

सेवाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य सेवाशीर्षक - (5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य सेवा शीर्षक - (04) जिला तथा अन्य सड़कें
तृतीय शीर्षक - (337) सड़क निर्माण कार्य
चतुर्थ शीर्षक - (03) राज्य सेक्टर
चौथे शीर्षक - (04) एन०पी०वी० का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानांतरित)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 14- शीर्षक कोड : 4 2 3 3
- 15- सेक्टर कोड : 2
- 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संतान करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	हस्ताक्षर को समितित फरते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	15894386	9236778	6657608

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	97,498
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समाप्ति के बाद)	97,498

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	97,498

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज एवं निर्माण कार्य देय है तथा पूर्व में आहरण नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त अपेक्षाओं का पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवशेषों की प्राप्ति अधिकारी की प्राप्ति है।

आहरण अधिकारी/उपकोषागार के हस्ताक्षर
आधिशासी आधिकारी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरांचली)

निर्देशक/प्रतिहस्ताक्षर कोषाधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउंटरसाईड के टिकटों के प्रकरण में ही लागू)
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरांचली)

धनराशि ₹0.97,498 (Rupees Ninety Seven Thousand Four Hundred Ninety Eight Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
शेकमय द्वारा ₹0 -
शुद्ध धनराशि ₹0.97,498

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP4103423303241012 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896120210541	97498	0	0	97498
					97498	0	0	97498

UN No - 221 dt 22/03/2024

(2/2)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120210541
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/01/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Amount(In Rs)	97498/-

Amount in Words :Ninety-Seven Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120210541 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jallita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120210541
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/01/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Amount(In Rs)	97498/-

Amount in Words :Ninety-Seven Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120210541 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jallita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubln0903710@unionbankofindia.bank

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

P.C. Attested

(Signature)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट

आदेशानुसार
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)
21/03/24

PAID VIDE CHEQUE ID NO. 1001013
DATED 22/3/24. Rs. 97,498/-

(Signature)

OPM

Sl No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name
1	ROAD94092015794	6194090794	construction of massigaon to gangtari link motor road	Road	0.45	PUBLIC WORK DEPARTMENT
2	ROAD69382014228	6169380228	Sunaldi to Jastadi Motor Road	Road	2.7825	PUBLIC WORK DEPARTMENT
3	ROAD225942016627	6122594627	Construction of Road Eijori to Bhaundi Motor road	Road	2.758	PUBLIC WORK DEPARTMENT
4	ROAD180782016604	6118078604	Gangrahi pul to Sabdyar Motor road	Road	4.284	PUBLIC WORK DEPARTMENT
5	ROAD202102016541	6120210541	Construction of Pail Gaon Motor Road from N.H. 123	Road	0.28	PUBLIC WORK DEPARTMENT
6	ROAD187322016299	6118732299	constructions of naugaon sayuri motor road	Road	1.627	PUBLIC WORK DEPARTMENT
7	ROAD103862015178	6110386178	Naugaon-Barkhok-Tilari LVR Upgradation to Motor Road and surface painting	Road	0.553	PUBLIC WORK DEPARTMENT
8	ROAD94092015170	6194090170	construction of massigaon to gangtari link motor road	Road	0.45	PUBLIC WORK DEPARTMENT
9	ROAD1226552021669	6112265569	Construction of Road Link B/Road Janichatti to Yamumotri track Route at km 3.	Road	0.12	PUBLIC WORK DEPARTMENT
10	ROAD157352015966	6115735966	Kdsala to Poldhar motor road	Road	1.239	PUBLIC WORK DEPARTMENT
11	ROAD180782016181	6118078181	Gangrahi pul to Sabdyar Motor road	Road	4.284	PUBLIC WORK DEPARTMENT
12	ROAD187322016760	6118732760	constructions of naugaon sayuri motor road	Road	1.627	PUBLIC WORK DEPARTMENT
13	ROAD225942016025	6122594025	Construction of Road Eijori to Bhaundi Motor road	Road	2.758	PUBLIC WORK DEPARTMENT
14	ROAD202102016650	6120210650	Construction of Road Pail Gaon Motor Road from N.H. 123	Road	0.28	PUBLIC WORK DEPARTMENT
15	ROAD121572015307	6112157307	construction of harumanchatti plindli mardresh motor marg	Road	2.895	PUBLIC WORK DEPARTMENT

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Challan_grid.aspx

(70773-2)

Performa Of Deposit Of Funds In ADHOC-Campa

कार्य का नाम- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत रा0मा0 सं0-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तों के अलुपालन हेतु। (FP/UK/ROAD/20210/2016)

1	Name of Regional office	Govt of India Ministry of Invoronment forest & Climate Change Integrated Regional Office, Dehradun 25 Subhash Road Dehradun 248001 Phone-0135-2650809
2	State/Distt/Forest Division to which the Proposal relates	Uttarkhand/Barkot/ प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
3	Name of the User Agency, Nature of Proposal	Construction Division PWD Barkot
4	Extent Forest area involved	0.280 ha.
5	Whether original or extension	Original
6	If extension of lease please clarify if proposal involves additional forest area, if so specify.	NA
7	Date of 1 st Stage Clearnce	16-01-2018
8	Extent of campa Charges, head wise viz.	
	a- Compensatory Afforestation	NA
	b- Additional CA	NA
	c- Road side Gap Plantation	NA
	d- Panel CA	NA
	e- Catchment Area Treatment	NA
	f- Wild life Management Plan	NA
	g- Additional charges for diversion of area falling under	NA
	h- Net present Value	490458.00
	i- Any other charges/ Levies (pl Specify) Blank Spaces Plantation	NA
	j- Road Side Plantation.	
	Total	490458.00
9	Detail of (Bank draft, date & Amount) Head wise against items indicated in 8 above	Attached Copy
10	Whether deposit by RTGS if so the particulars & date of remittance.	NPV Paid Through Challan no 52180479 Amt. 392960.00 dt 14-02-2019 & Challan of Campa with IFMS Id No -W04103423303241013

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

अभिजास अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट, उत्तरकाशी

		,Dated 22.03.2024 of total amount deposit 490458.00
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi complex/Union Bank of india Sundar Nagar) in which deposited with date of deposition.	NEFT fund transfer in name of Uttarakhand Campa AC No.150896120210541 Amt 97498.00 & Challan no 52180479 Amt. 392960.00 dt 14-02-2019
12	Any Other Remarks.	Nil




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट



कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्रांक-1969/12-1 दिनांक, बड़कोट, जम्मू, 05 2019।

सेवा में,

अधिसारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोनिवि,
बड़कोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग- 123 से पौलगाव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोनिवि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक- 08वी/यू०सी०पी०/०६/०१/२०१७/एफ०सी०/१६९९ दिनांक- १६.०१.२०१८ एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- २५६३/एफ०पी०/यू०के०/रोड़/२०२१०/२०१६ दिनांक- २५.०१.२०१८।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक- ०८वी/यू०सी०पी०/०६/०१/२०१७/एफ०सी०/१६९९ दिनांक- १६.०१.२०१८ से विषयगत सम्पर्क मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या-१ तथा २ के अनुसार आपके द्वारा धनरशि जमा की जानी है। जिसका मांग पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-२२२/१२-१, दिनांक ०५.०२.२०१८ से आपको प्रेषित किया गया था। उक्त मांग पत्र को पुनः संशोधित कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-क-९७२/३-५-२(II) दिनांक २१.११.२०१७ से वर्ष २०१८-१९ हेतु निर्धारित दर में सम्पूर्ण विवरण के प्रपत्र में संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

12-1 land transfer..

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग- 123 से पीलगांव तक सड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 हे० वन भूमि का गैर वाणिकी कार्यों हेतु लोनिनि० को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु संवैधानिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।


अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	इस्तान्तिरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० भे)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे० भे)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकारित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राष्ट्रीय राज मार्ग-123 से पीलगांव तक सड़क मोटर मार्ग निर्माण	0.28	5	0.3	1- कार्टे. जाने वाले 19 वृक्षों के एवज में-दस गुना 190 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2- एन०पी०वी० की धनराशि	-	1100.00 रु० प्रति वृक्ष	2,09,000.00
					तीन लाख बयानवे हजार नौ सौ साठ रु०	0.28	657000.00 प्रति हे०	1,83,960.00
								3,92,960.00

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जाएगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।


अधिशर्सी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

संलग्नक-12

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

संलग्नक - 13


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 से अधिक न होगी।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट

संलग्नक-15


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक होगी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट